# <u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

**<u>प्रकरण संख्या– 12/2024</u>**

1. रामप्रताप पुत्र दामदास जाति स्वामी साकिन 3 डी.डब्लयू. एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

**<u>निर्णय</u>** दिनांकः–27.08.2024

अपीलांट रामप्रताप पुत्र दामदास जाति स्वामी साकिन 3 डी.डब्लयू.एम. तहसील रावतसर विरूद्व निर्णय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर दिनांक 23.02.2024 प्रकरण संख्या 73/2023 बअनवानी स्टेट बनाम रामप्रताप को को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्व तथ्यो के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलान्ट को दफा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत एक नोटिस दिया कि आप ने रोही मौजा चक 3 डी.डब्लयू.एम. तहसील रावतसर के प.न. 194/44 (35) के कि.न. 1, 2, 6 ता 8, 11 ता 15 की 2.378 प.न. 194 [illegible]) कि.न. 21 ता 23 की 0.759 कुल 3.137 हैक्टेयर कमाण्ड आराजीराज भूमि [illegible] 2080 फसल रबी गेंहू /सरसो /चरी की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण [illegible] से नोटिस प्राप्त [illegible] पर अपीलान्ट /गैरसायल ने हाजिर अदालत आ[illegible] जवाब पेश किया कि [illegible]स्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 27.08.02021 के अनुसार विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कल॰
नोहर (हनुमानगढ़,

भूमि सहित कुल 55 बिघा भूमि को अपीलान्ट एवं बाबूलाल, देवीलाल, मदनलाल के पक्ष में ब.हि.ब. रकबा को बहाल करने के आदेश हुए जिसकी नियमानुसार राशि जमा करवाने का आदेश उपखण्डाधिकारी रावतसर को दिये गये, जिसकी पालना में कार्यवाही आज भी जैरकार है। इसलिये मेरे खिलाफ की गयी कार्यवाही ड्रोप की जावें लेकिन तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर नही किया गया तथा विधि विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

3. विवादित भूमि से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलैक्टर नोहर ने मिसल न. 451 सन् 1987 निर्णय दिनांक 23.03.1989 को 15 एएए के तहत बालिंग पुत्र होने के मदनलाल, बाबूलाल देवीलाल व अपीलान्ट रामप्रताप को ब0हि0 ब0 चक 3 डी.डब्लयू.एम. तहसील रावतसर के प.न. 194/43 के कि.न. 6 ता 25 की 20 बिघा प. न. 194/51 के कि.न. 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 22 की 16 बिघा 23 की 1 बिघा प.न. 194/52 के कि.न. 1 ता 3 की 3 बिघा प. न. 194/44 के कि.न. 1 ता 15 की 15 बिघा कुल 55 बिघा जिसमें 52 बिघा कमाण्ड व 3 बिघा अनकमाण्ड रकबा के खातेदारी अधिकार दिये थे, जिसकी कुल किमत 94050 रूपये तय किये थे लेकिन निर्णय दिनांक 23.03.89 के आधार पर जो अमल दरामद आदेश जारी हुआ उसमें सहवन देवीलाल का नाम दर्ज होने से रह गया था, जिस पर रकबा किस्तो के अभाव में खारिज हो गया। उसके बाद निर्णय दिनांक 23.03.1989 के पालना में देवीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि किस्ते जमा करवा कर अपीलान्ट एवं देवीलाल, मदनलाल, बाबूलाल को खातेदारी अधिकार दिये जावे, जिस पर अधीनस्थ अदालत द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन बाबुलाल ने अधीनस्थ अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट, देवीलाल, मदनलाल, बाबूलाल के पक्ष में निर्णय मानकर दिनांक 13.02.2003 को किस्ते जमा करवा कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारीत किये, जिसके विरूद्ध देवीलाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश की, जो दिनांक 27.08.2021 को स्वीकार की गई एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2003 निरस्त कर दिया एवं अधिनस्थ न्याया[illegible]र राशि जमा करवाकर रामप्रताप, मदनलाल, बा[illegible] के पक्ष में ब0हि0ब0 रकबा को बहाल करने के [illegible] वावुलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील [illegible]2023 को विड्रा करने के कारण खारिज हो गई एवं आज भी राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में देवीलाल का प्रार्थना पत्र जैरकार है। उसके बाबजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का निर्णय पारित किया है जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. विवादित भूमि अपीलान्ट व देवीलाल, मदनलाल, बाबूलाल पिसरान् दामदास के ब0 हि0ब0 कब्जा काश्त में चली आ रही है, जो नियमानुसार उसकी खातेदारी भूमि है। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अतिकमी मानकर बेदखल कर खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये है, जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

5. निर्णय करने से पूर्व मातहत अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन अवलोकन नही किया यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्कता नही होती इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत को इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व स्टेट की तरफ से साक्ष्य ली जाकर एवं प्रकरण साबित होने पर ही निर्णय करना चाहिये था प्रस्तुत पत्रावली पर ऐसा कुछ नही किया गया है इसलिये उक्त निर्णय विधि विरूद्व होने की वजह से निरस्त योग्य है।

7. अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नही किया है जिसकी सजा इस प्रकार का निर्णय हो कानूनन् इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नही कर कानूनी भूल की है इसलिये निर्णय निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत का निर्णय स्वेच्छाचारी मनमाना एवं कानुन सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

9. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता हैं। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:35 IST
Reason: SelfAttested

10. अपीलाट ने मातहत अदालत में उपस्थित आकर [illegible] एवं दस्तावेज पेश कर दिया एवं आगामी तारीख पेशी के बारे में [illegible] ना ही साक्ष्य बाबत कोई सूचना दी गयी ना ही निर्णय होने की कोई जानकारी थी अब अदालत में जाकर निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त की तो दिनांक 23.02.2024 को निर्णय होना बताया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तब निर्णय की दिनांक 27.03.2024 को नकल प्राप्त कर वकील से सम्पर्क किया तो बताया की निर्णय के खिलाफ अपील पेश करनी होगी इसलिये जानकारी होते ही आज बिना किसी देरीना के अपील पेश कि जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

11. अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

12. अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा ।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.02.2024 निरस्त करने का आदेश फरमावें।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर नोहर मिसल नं. 451/1987 निर्णय दिनांक 23.03.1989 को 15 एएए के तहत बालिग पुत्र होने के रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल व देवीलाल अपीलान्ट को ब0हि0ब0 चक 3 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर के प0 नं0 194/43 के किला नं. 6 ता 25 प0 नं0 194/51 के किला नं. 1 ता 4, 17 ता 13, 18 ता 23 प0 नं0 194 /52 किला नं. 1 ता 3 प0 नं. 194/44 किला नं. 1 ता 15 की कुल 55 बीघा जिसमें 52 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड रकबा भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये थे, जिसकी कुल किमत 94050/– रूपये तय किये थे। लेकिन निर्णय दिनांक 23.03.1989 के आधार पर जो अमल अदामद आदेश जारी हुआ, उसमें सहवन से देवीलाल का नाम दर्ज होने से रह गया था। जिस पर रकबा किस्तों के आधार पर खारिज हो गया। उसके बाद निर्णय दिनांक 23.03.1989 की पालना में देवीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि किस्ते जमा करवा कर अपीलान्ट एवं मदनलाल, देवीलाल, बाबुलाल को खातेदारी अधिकार दिये जावे। जिस पर अधिनस्थ अदालत द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन बाबुलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल के पक्ष में निर्णय मानकर दिनांक 13.02.2003 को किस्ते जमा करवा कर खातेदारी [illegible] करने के आदेश पारित किये, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने सक्षम अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 27.08.2021 को स्वीकार की गई एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2003 निरस्त कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्देश दिया कि नियमानुसार राशि जमा करवाकर देवीलाल व रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल पि0 दामदास के पक्ष मे ब0हि0ब0 रकबा को बहाल करने के आदेश पारित करे, जिसके खिलाफ बाबुलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की, जो दिनांक 05.12.2023 को विड्रा करने के कारण खारिज हो गई एवं आज भी राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत के निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र जैरकार है। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का निर्णय पारित किया है, जो किसी प्रकार से कानूनी सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा दिनांक 28.06.2024 को विवादित भूमि चक 3 डी.डब्ल्यू.एम की कुल 55 बीघा भूमि को बाबूलाल, देवीलाल, रामप्रताप, मदनलाल के पक्ष में बहिस्सा बराबर रकबा बहाल किये जानें के आदेश दिये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में प्रार्थना–पत्र जैरकार होनें के उपरान्त बेदखली का निर्णय दिनांक 23.02.2024 को पारित किया, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2024 को पारित निर्णय में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय दिनांक 23.02.2024 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली तहसीलदार रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि पुनः सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:35 IST
Reason: SelfAttested